

## राज्यपाल की नयुक्ती

स्रोत: द हट्टि

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रपति](#) ने छह नए राज्यपालों की नयुक्ती की है तथा तीन अन्य में फेरबदल किया है।



//

## राज्यपाल की नयुक्ती प्रक्रिया क्या है?

### परिचय:

- राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है।
- राज्यपाल का कार्यालय **कनाडाई मॉडल** से अनुकूलित है।
- परंपरा के अनुसार, वह उस राज्य से संबंधित न हो जहाँ उसे नयुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके।
  - इसके अलावा, जब राज्यपाल की नयुक्ती हो तब राष्ट्रपति के लिये आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से

परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो।

- राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होता है।
  - उसकी नियुक्त राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है।
  - वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
    - सूर्य नारायण बनाम भारत संघ मामले, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता न्यायोचित नहीं है।
- वह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हैं।
  - हालाँकि हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तलिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।
  - यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है।
- राज्यपाल कार्यालय की शर्तें:
  - बना करिये के उसे राजभवन (आधिकारिक नगिम) उपलब्ध होगा।
  - वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिये अधिकृत होगा।
  - यदि वह व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो ये उपलब्धियाँ और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मलिकर प्रदान करेंगे।
  - उसके कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता।
- वशिेषाधिकार:
  - अनुच्छेद 361 के तहत, उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिये वधिक दायित्व से निजी उन्मुक्त प्राप्त होती है।
  - अपने कार्यकाल के दौरान, उसे अपराधिक कार्यवाही (चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो) की सुनवाई से उन्मुक्त प्राप्त है।
  - उसे गरिफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है।
    - यद्यपि दो महीने के नोटिस देने पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके वरिद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
- शपथ:
  - कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेना है।
  - अपनी शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं-
    - निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा।
    - संवैधान और वधिकी रक्षा संरक्षण व प्रतिरक्षा करेगा।
    - स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा।
  - राज्यपाल को शपथ, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दलिवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दलिवाते हैं।

## राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।
  - एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों (सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसति) का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
  - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक मनोनीत सदस्य होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 157 और 158: राज्यपाल के पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद होती है, सविय कुछ स्थितियों के जहाँ वविकाधिकार की अनुमति होती है।

और पढ़ें: [राज्यपाल](#), [राज्यपाल की भूमिका](#): चुनौतियाँ और सुधार प्रस्ताव, [सुर्खियों में राज्यपाल](#): भारत में सुधार का आह्वान, [राज्य वधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

- किसी राज्य के राज्यपाल के वरिद्ध उसकी पदावधिके दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडकि कार्यवाही संस्थति नहीं की जाएगी।
- किसी राज्य के राज्यपाल की परलिब्धियों और भत्ते उसकी पदावधिके दौरान कम नहीं कयि जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी विकिधीन शक्तियाँ कसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपत को, राष्ट्रपत शासन अधरीपत लागू करने के लयि रपौरट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्ती करना
3. राज्य वधिानमंडल द्वारा पारत कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपत के वचिर के लयि आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही वयक्त को एक ही समय में दो या अधकि राज्यों का राज्यपाल नयुक्त नहीं कयि जा सकता है ।
- (b) भारत में राज्यों के उच्च नयायालय के नयायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नयुक्त कयि जाते है, ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च नयायालय के नयायाधीश राष्ट्रपत द्वारा नयुक्त कयि जाते है ।
- (c) भारत के संवधिान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रयि अधकिथति नहीं है ।
- (d) वधियी व्यवस्था वाले संघ वाले राज्य कषेत्तर में मुख्यमंत्री की नयुक्ती, उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर, की जाती है ।

उत्तर: (c)